न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगण –

1. विक्रमसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।
2. शकुन्तला कंवर पत्नि बृजपालसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।
3. भगवती देवी पुत्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण उम्र 60 वर्ष हाल निवासी सीकर जरिये आम मुख्तयार बृजपालसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मेवाराम पुत्र कालुराम जाति जाट (जाखड़) निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां।

<u>दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट</u>

उपस्थित :– श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बरः– 94/2020 निर्णय दिनांकः– 29.09.2023

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादगीण ग्राम पांचोता के मूल निवासी हैं। वादीगण की खातेदार एवं कब्ज काश्त की आराजी कृषि भूमि ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में आयी हुई जिसका वादीगण शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने राजस्व ग्राम केरियावास के खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि आज से 15 वर्ष पूर्व तत्कालिन खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा बतौर प्रतिफल खरीद कर विक्रित भू–भाग का कब्जा उसी दिवस तत्कालिन खातेदारान/विक्रेता से प्राप्त कर लिया था तब से वादीगण उक्त आराजी पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज खातेदार कृषक चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमि पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नावां से इस भूमि पर कृषि ऋण केसीसी भी प्राप्त कर रखा है। उक्त बैंक की शाखा द्वारा वादीगण को ऋण स्वीकृत करते समय भौतिक कब्जा की भली भांति जांच कर वादीगण को ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त भूमि में वादीगण कभी स्वयं काश्त करते है तथा कभी दूसरों को हासल पर काश्त हेतु देते है तथा उक्त भूमि से होने वाली आय जिन्स व कुदरती पैदावार को वादीगण वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त करते रहे है। वादीगण ने आज से तीन वर्ष पूर्व उक्त भूमि को हासल पर काश्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को बताया परन्तु उसका व्यवहार व आचार विचार सही नहीं होने के कारण वादीगण ने दुबारा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी कभी भी हासल हेतु काश्त पर नहीं दी जिसके कारण प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:04:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

1 वादीगण से नाराज रहने लगा। प्रतिवादी संख्या 1 ने अभी 10 रोज पूर्व वादीगण के हासल पर बताये काश्तकार/बटाईदार को बेवजह परेशान करना चालू कर दिया है। वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों की भूमि के चारों ओर लगी कच्ची डोल आदि को रातो रात तोड फोड कर नुकसान पहुंचा देने की धमकियां देने लगे है तथा वादीगण को अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने लगे है कि अपना भला चाहते हो तो इस भूमि को छोडकर चले जाओं वरना हम लाठी भाटे के जोर पर मौके पर खुन खच्चर की स्थिति उत्पन्न कर तुम्हें इस भूमि से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे जिसका उसे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो वादीगण अपने कदीमी खातेदारी अधिकारों की भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं या अपने एजेन्टो के मार्फत वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों की उपर्युक्त भूमि राजस्व ग्राम केरियावास के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि में दखल नहीं करें। वादीगण ने अपने बटाईदार/काश्तकार के साथ वर्तमान में उक्त भूमि में मुंगफली की फसल बो रखी है। ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं और अपने एजेन्टों के मार्फत दखल नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने यूटी दी। तत्पश्चात दिनांक 28.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। दिनांक 12.04.2023 को अधिक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं को बार–बार आवाज दिलाई जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 वादी विक्रमसिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी प्रदर्श पी 1, मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, असल मुखत्यार नामा आम प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 के रूप में वादी से प्रदर्शित करवाये गये। असल मुखत्यार नाम आम की फोटो प्रति का मिलान किया जाकर प्रदर्श पीए 3 व प्रदर्श पीए4 अंकित किये जाकर असल मुखत्यार नामा वादी को लौटाए गए।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:04:52 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं वादीगण की खातेदारी पृथक से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार का स्वामित्व होने बाबत कोई तथ्य एवं साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नहीं हैं इसलिए वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं अथवा अपने एजेन्टों के माध्यम से किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:04:52 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगण —

1. विक्रमसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां। 2. शकुन्तला कंवर पत्नि बृजपालसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां। 3. भगवती देवी पुत्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण उम्र 60 वर्ष हाल निवासी सीकर जरिये आम मुख्तयार बृजपालसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. मेवाराम पुत्र कालुराम जाति जाट (जाखड़) निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां।

मुकदमां नम्बर :— 94/2020 निर्णय दिनांक :— 29.09.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं अथवा अपने एजेन्टों के माध्यम से किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.09.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाप्म वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:04:52 IST
Reason: SelfAttested